



दूरभाष : 2490921

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

मथुरा

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश-प्रपत्र

संख्या/सहमति (जल आदेश)/

दिनांक

विषय : मै० हरे कृष्णा और्चिड, सुनरख रोड, मथुरा।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम की 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण हेतु सहमति।

सन्दर्भ : आवेदन पत्र संख्या शून्य

दिनांक 27.3.17

- जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने उपयुक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै० हरे कृष्णा और्चिड, सुनरख रोड, मथुरा।
को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू/नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुये में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
- यह सहमति वर्ष 20..... के मास दिनांक ...27.3.17..... से31.12.18..... अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
- इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो लागू हो का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

संलग्नक : अनुलग्नक (सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी